रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012023-242003
CG-DL-E-16012023-242003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2023/पौष 26, 1944
No. 24]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2023/PAUSHA 26, 1944

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 25(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय विकास संगठन, के आशुलिपिक श्रेणी-।।, समूह 'ग' पद, के भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में आशुलिपिक श्रेणी-।। के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास संगठन, आशुलिपिक श्रेणी-।।, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती का पद्धिति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** इस संबंध में भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए निर्देशानुसार होंगे।

4. **निरर्हता**:- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन-मैट्रिक्स में वेतन-स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिओं के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-।।	53* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-4 (रुपए 25500-81100/-)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्षों तक की छूट) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण करने की महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञाप्ति तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेख: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट लेखन: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिंदी) (मैनुअल टाईपराईटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण**: पदधारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के लिए एक वर्ष तक या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले और कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अहर्ताएं धारण करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के लिए)** 1. निदेशक/ संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक - सदस्य तथा 3. उपनिदेशक (प्रशासन) - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12035/04/2022-ए(पीएंडटी) (ई-4020573)]

पंकज कुमार झा, उप-निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Office of the Development Commissioner

(Micro, Small and Medium Enterprises)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2023

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Stenographer Grade II, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Stenographer Grade II in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, namely: -

1. Short title and commencement.- (a) These rules may be called the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Stenographer Grade II, Group 'C' Non-Gazetted Post, Recruitment Rules, 2023.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.- The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II.	*53 (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-).	Not applicable.	18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii)Skill test norms: Dictation: 10 minutes @ 80 word per minute Transcription: 65 minutes (English), 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) or, 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (On Computer).	Not applicable.	Two Years.	Direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) 1. Director/Joint Director - Chairman; 2. Deputy Director -Member; and 3. Deputy Director (Administration) - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12035/04/2022-A(P&T)(E-4020573)]
PANKAJ KUMAR JHA, Dy. Director (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.16 21:57:02 +05'30'